संख्या-33/2017/1595 ई-2/तेरह-2017-20/2006

प्रेषक,

विनोद कुमार तिवारी,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
गाजीपुर।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ::दिनांक 01 अगस्त,2017

विषयः- बिन्दु होटल स्थित गौसाबाद रोड, फुल्लनपुर, गाजीपुर में एफ0एल0-6(समिश्र) बार अनुज्ञापन स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन को सम्बोधित एवं आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को पृष्ठांकित अपने पत्र संख्या-784/आब0लि0/बार अनुज्ञापन/16-17/बिन्दु होटल/गाजीपुर, दिनांक 10 दिसम्बर,2016 तथा पत्र संख्या-317/जि0आ0अ0/बिन्दु होटल/एफ0एल0-6(समिश्र) बार/गाजीपुर, दिनांक 24 जून,2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संदर्भगत प्रकरण में जिला बार समिति की बैठक दि0 15-11-2016 में की गई संस्तुति एवं इसी संदर्भ में आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के पत्र संख्या-जी-197/दस-लाइसेंस-41/एफ0एल0-6,7/बार अनु0/गाजीपुर, दिनांक 04 जनवरी,2017 में की गई संस्तुति व अन्य सुसंगत अभिलेखों पर सम्यक् विचारोपरान्त श्री आलोक राय पुत्र श्री नरेन्द्र नाथ राय, नि0-अष्टभुजी कालोनी, शहरी गोडा, गाजीपुर के नाम मे0 बिन्दु होटल स्थित गौसाबाद रोड, फुल्लनपुर, जनपद गाजीपुर को वर्ष 2017-18 के लिये एफ0एल0-6(समिश्र) बार अनुज्ञापन स्वीकृत किये जाने की अनुमति एतद्द्वारा प्रदान की जाती है।

कृपया तद्नुसार आगामी कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,
(विनोद कुमार तिवारी)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-33/2017/1595(1) ई-2/तेरह-2017, तद्दिनांक

उपर्युक्त की प्रति आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के पत्र संख्या-जी-197/दस-लाइसेंस-41/एफ0एल0-6,7/बार अनु0/गाजीपुर, दिनांक 04 जनवरी,2017 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,
(विनोद कुमार तिवारी)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।